



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-06072026-274192
CG-CG-E-06072026-274192

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3455]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2026/आषाढ 11, 1948

No. 3455]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2026/ASHADHA 11, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)
अधिसूचना

बिलासपुर, 01 जुलाई, 2026

का.आ. 3590(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20 एफ(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छत्तीसगढ़ राज्य में एतद द्वारा नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ (2) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के सम्बन्ध में इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारणी -1

सीरियल नंबर	सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेल परियोजनाओं के क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1)	आयुक्त, सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़	चिरमिरी – नागपुर रोड नई रेल लाइन परियोजना (17 कि.मी.)

[फा.सं. उप. मुख्य अभि./निर्माण/उत्तर/बिलासपुर /चिरमिरी-नागपुर रोड]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(S.E.C.Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 1st July, 2026

S.O. 3590(E).— In exercise of powers conferred by clause 20F(6) of the Railways Act, 1989(24of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as the competent authority to perform the functions of such Authority under the said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below in the state of Chhattisgarh with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Serial Number	Competent Authority	Area of the Special Railway Project
1	2	3
1)	Commissioner/Sarguja Division, Chhattisgarh	Chirimiri - Nagpur Road New Railway Line Project (17 K.M.)

[F.No. Dy.CE./Con/North/Bilaspur /Chirimiri – Nagpur Road]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Const.)